

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
संख्या:18-220-2013 दिनांक:मार्च 15, 2014

सेवा में,

1. अपर पुलिस महानिदेशक, डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएससी जोन्स, उत्तर प्रदेश।
8. पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी० मुख्यालय, लखनऊ।
9. निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय लखनऊ।
10. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
11. पुलिस महानिरीक्षक, फायर सर्विस, उ०प्र० लखनऊ।
12. पुलिस महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ।
13. पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव।
14. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएससी सेक्टर, उ०प्र०।
15. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ०प्र०।
16. पुलिस उपमहानिरीक्षक, एस०आई०टी० उ०प्र० लखनऊ।
17. पुलिस उपमहानिरीक्षक, ए०टी०एस०, उ०प्र० लखनऊ।
18. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी०टी०एस० गोरखपुर/उन्नाव/मेरठ/मुरादाबाद।
19. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी, उ०प्र०।
20. सेनानायक, आर०टी०सी० चुनार, मिर्जापुर।
21. समस्त सेनानायक, पीएससी वाहिनी, उ०प्र०।
22. पुलिस अधीक्षक, कम्प्यूटर केन्द्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
23. पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
24. पुलिस अधीक्षक, दस्यु उन्मूलन अभियान, कानपुर।
25. शिविरपाल/अपर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय पुलिस भण्डार, कानपुर।
26. पुलिस अधीक्षक, मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
27. समस्त राज्य मोटर वाहन अधिकारी, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा।

विषय: जिला पुलिस संवर्ग में नियुक्त मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के एस०आई०(एम) तथा ए०एस०आई० (एम) की सम्मिलित संशोधित वरिष्ठता सूची।

कृपया पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या अठारह-220-2013 दिनांक 18.12.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ दिये जाने सम्बन्धी पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या:2608/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:4/1/2002-टी०सी०-1-क-2/2012 दिनांक 08.05.2012 एवं इसी क्रम में निर्गत अन्यान्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था/निर्देशों के अनुसार उ०प्र० पुलिस विभाग के जिला पुलिस संवर्ग के एस०आई०(एम) तथा ए०एस०आई०(एम) की अनन्तिम (Tentative) सम्मिलित वरिष्ठता सूची तैयार करते हुये **uppolice.nic.in** में **Police Head Quarters (PHQ)** के **PHQ Circulars (Subject)** में **Estt. Matters of Ministerial** में पुलिस की बेव साईट पर प्रदर्शित कर सिस्टम पर **Download** करके अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को संज्ञानित/सूचित करते हुए, विवरण के सम्बन्ध में किसी कर्मी को आपत्ति हो तो वे उस सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन सूचित होने के 07 दिवस के अन्दर अपने पास उपलब्ध अभिलेखों आदि की प्रति सहित आपके माध्यम से प्रस्तुत कर कर्मी के प्राप्त प्रत्यावेदन का उसके सेवाभिलेखों के आलोक में अपने स्तर से परीक्षण कर लिया जाय तथा अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित दिनांक 25.12.2013 तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया गया था।

2- आपके अधीन नियुक्त कर्मियों द्वारा व्यक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर उनका निराकरण कर दिया गया है। अब पुनः उक्त संशोधित सूची पुलिस की बेव साईट **uppolice.nic.in** में **Police Head Quarters (PHQ)** के **PHQ Circulars (Subject)** में **Estt. Matters of Ministerial** में **PDF File** में प्रदर्शित कर सिस्टम पर **Upload** कर दी गई है। इस सूचना को सभी सम्बन्धित को E-mail के माध्यम से भी भेजा जा रहा है।

3- इस सूची में क्रमांक- 1, 4, 13, 21, 22, 33, 36, 54, 69, 72, 74, 78, 84, 88, 89, 105, 124, 133, 152, 162, 170, 173, 178, 195, 198, 200, 216, 218, 224, 232, 234, 258, 261

Sent
A
18/3

262, 281, 291, 294, 296, 303, 306, 307, 313, 315, 318, 321, 328, 338, 342, 351, 358, 366, 377, 385, 394, 396, 397, 404, 405, 413, 421, 436, 445, 453, 473, 474, 502, 521, 555, 566, 576, 577, 579, 582, 583, 598, 600, 603, 645, 652, 659, 665, 680, 682, 692, 693, 696, 700, 705, 709, 725, 727, 733, 736, 744, 746, 754, 775, 795, 803, 804, 811, 816, 825, 828, 837, 852, 856, 857, 859, 861, 875, 891, 895, 1003, 1016, 1062, 1253, 1326, 1347, 1379, 1380, 1483, 1491, 1595, 1625, 1713, 1714, 1723, 1768, 1784, 1813, 1834, 1860, 2020, 2021, 2033, 2055, 2150, 2192, 2199, 2229, 2231, 2235, 2236, 2239, 2243, 2244, 2246, 2252, 2268, 2271, 2273 से 2278 तक 2291, 2294 से 2299 तक पर अंकित कर्मियों के नाम के समक्ष खाली स्थान (कालम) की पूर्ति न होने के कारण वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान किये जाने में असुविधा उत्पन्न हो रही।

4- अतः उक्त संशोधित सूची इस अनुरोध के साथ पुलिस की वेब साइट **uppolice.nic.in** पर प्रदर्शित है कि जिन कर्मियों के नाम के समक्ष खाली कालम है, उसको पूर्ण कराकर वांछित सूचना अथवा किसी एस0आई0(एम)/ ए0एस0आई0(एम) का नाम सूची में अंकित होने से छूट गया हो या कोई कमी हो तो उसका भी पूर्ण विवरण दिनांक 25.03.2014 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही उक्त सूची के कालम संख्या:09 (अभ्युक्ति) में कर्म का पी0एन0ओ0 नम्बर भी अंकित कर दिया जाय।

5. प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

(कवीन्द्र प्रताप सिंह)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक,
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी आई0टी0 सेल, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त संशोधित सूची को पुलिस की वेब साइट **uppolice.nic.in** पर **UPload** करते हुए समस्त सम्बन्धित को उनके E-mail पर भी भेजकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

2. प्रभारी फैंक्स, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया उक्त पत्र के प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को भेजकर, अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(कवीन्द्र प्रताप सिंह)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक,
उत्तर प्रदेश।